भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *89

जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

बैंकिंग अभिकर्ताओं का कल्याण

*89. डॉ. के. सुधाकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह संज्ञान लिया है कि आज बड़ी संख्या में बैंकिंग अभिकर्ताओं को कमीशन संबंधी संरचनाओं में संशोधन न होने तथा पुराने पड़ चुके प्रोत्साहनों, जो बढ़ती महंगाई के अनुरूप नहीं हैं, के कारण अपने अस्तित्व से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा बैंकिंग अभिकर्ताओं के कल्याण सहित यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक बैंकिंग सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग अभिकर्ताओं का चैनल सर्वाधिक सक्रिय रहे;

(ग) वर्तमान में कुल कितने बैंकिंग अभिकर्ता कर्नाटक में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं; और

(घ) वर्तमान में राज्यवार देश में कुल कितनी फिनटेक कंपनियां कार्यरत हैं और उनका कुल कारोबार कितना है तथा वर्तमान में ऋण से संबंधित बाजारों में उनका योगदान कितना है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 01.07.2014 के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है।

बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से बीसी को कार्य पर रखने की नीति तैयार करते हैं, जिनमें बैंक बीसी को उचित कमीशन/शुल्क का भुगतान कर सकते हैं, जिसकी दर और मात्रा की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने बैंकों और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (आईआईबीएफ) के परामर्श से बीसी एजेंटों को उचित व्यवहार अभिविन्यास और कौशल प्रदान करने के लिए स्थानीय भाषा (भाषाओं) में उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए हैं।

बीसी को उनके द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन के लिए कमीशन दिया जाता है। ग्राहक द्वारा बीसी केन्द्र पर प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है और आज की तारीख में बीसी ग्राहकों को 56 सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनमें लेन देन सेवाएं, पीएमजेडीवाई खाता खोलना, जमा प्राप्त करना, ऋण संबंधी सुझाव देना, एनपीए रिकवरी, सूक्ष्म बीमा, आवर्ती जमा आदि शामिल हैं इस प्रकार बीसी को ग्राहकों को ये सेवाएं उपलब्ध कराकर अधिक कमीशन अर्जित करने का अवसर उपलब्ध होता है। इसके अलावा, दुर्गम क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत बीसी के लिए नाबार्ड ने एक योजना आरंभ की है, जिसमें प्रति ग्राम दो उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीसी को प्रति बीसी प्रति माह 1000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ग): दिनांक 31.1.2025 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक राज्य में कार्यरत निर्धारित स्थान अंतर परिचालनीय व्यवसाय प्रतिनिधियों की कुल संख्या 56,607 है।

(घ): फिनटेक अधिकांशत बैंकों और एनबीएफसी जैसी विनियमित संस्थाओं (आरई) के समन्वय से कार्य करते हैं ताकि उन्हें नवीन सेवाएं/समाधान प्रदान किए जा सके जिससे उनके कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं में गति और दक्षता आए। सामान्यतः ये संस्थाएं आरई के सहयोग से आउटसोर्स एजेंसियों के रूप में कार्य करती हैं और रिज़र्व बैंक के आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत अभिशासित होती हैं। इन कंपनियों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

*****